



प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०


पत्रांक संख्या- पी०आर०एस०यू० / सम्बद्धता / 1622 / 2021

दिनांक- 07 / 10 / 2021

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में निर्दिष्ट अन्य विशिष्ट एवं सामान्य तथा अनिवार्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन मा० कुलपति महोदय के आदेशानुसार निम्नांकित सूची में अंकित महाविद्यालय को उनके सत्र 2021-22 में आवेदित पाठ्यक्रमों में मात्र एक अर्थात् सत्र वर्ष 2021-22 हेतु सशर्त सम्बद्धता प्रदान की जाती है। विस्तृत सम्बद्धता आदेश अलग से जारी हैं, उसमें अंकित विवरण तथा शर्तों का अनुपालन करना महाविद्यालय के अनिवार्य होगा और अनिवार्य शर्तों में कोई छूट किसी भी महाविद्यालय को अनुमन्य नहीं होगी।

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम/पता
1.	भगवानदीन यादव महाविद्यालय, हरखपुर, सोरांव, प्रयागराज, उ०प्र०।
2.	केवला प्रसाद शुक्ला जनता महाविद्यालय, देवनहरी, सहसो, प्रयागराज, उ०प्र०।
3.	श्री नागेश्वर सिंह शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, चौरा, गड़वारा, प्रतापगढ़, उ०प्र०।
4.	आचार्य रमाकान्त महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिवसत, रानीगंज, प्रतापगढ़, उ०प्र०।
5.	श्रीमती रामा अग्रहरि महिला महाविद्यालय, रामा नगर देवीगंज फतेहपुर, उ०प्र०।


 (एस० के० शुक्ल)
 कुल सचिव।